भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-74

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत वित्त निगम का कार्य-निष्पादन

74. श्री टी. रतिनावेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) देश में कार्यरत सबसे बड़ा एन.बी.एफ.सी. बन गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार, यह स्थापित किया गया है कि पी.एफ.सी. वर्ष 2015 के दौरान राज्यों के स्वामित्व वाले 290 उपक्रमों में से छठा सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सरकारी क्षेत्र बन गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पी.एफ.सी. द्वारा अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार, निवल मूल्य (सभी आरक्षितों सहित साझा पूंजी) के आधार पर विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) देश में सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी का निवल मूल्य 32,219 करोड़ रूपए है।

(ख) : फरवरी, 2015 में जारी "सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2013-14" के अनुसार, पीएफसी, दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार, 290 सीपीएसई में से छठा सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

(ग) : पीएफसी द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

वित्तीय वर्ष	**कर पश्चात लाभ (रूपए करोड़ में)**
2013-14	5,418
2014-15	5,959
2015-16	6,113

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-75

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

चेय्यूर, तमिलनाडु में अति वृहद विद्युत परियोजना की स्थिति

75. श्री टी. रतिनावेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु के चेय्युर में 4000 मेगावाट की अति वृहद विद्युत परियोजना (यू.एम.पी.पी.) हेतु भू-अर्जन पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त परियोजना के लिए संशोधित बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है;

(ग) क्या तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने शीघ्रातिशीघ्र बोली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभ्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : परियोजना के लिए लगभग 1272 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भूमि के अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार दी गई हैः

क्रम सं.		**अपेक्षित भूमि (एकड़)**	**स्थिति**
1.	मुख्य संयंत्र और कैप्टिव पत्तन भूमि	**1143.39**	
	निजी भूमि	655.15	623 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है।
	सरकारी भूमि	488.24	333 एकड़ भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है।
2.	कॉरीडोर भूमि	**128.98**	

	निजी भूमि	101.88	93.89 एकड़ भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है।
	सरकारी भूमि	27.10	

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2013 को मुख्य संयंत्र के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.11.2012 को पनाईयूर, कांचीपुरम में कैप्टिव जेट्टी की स्थापना के लिए पर्यावरणीय और सीआरजैड स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(ख) : एसबीडी/एमबीडी की समीक्षा के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा श्री प्रत्युष सिन्हा, पूर्व-सीवीसी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने आयातित कोयले पर आधारित संशोधित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) और दिशा-निर्देश-2016 के साथ दिनांक 03.12.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) : मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का दिनांक 14.06.2016 का पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से दिनांक 30.06.2016 को प्राप्त हुआ है। बोली दस्तावेजों के अंतिम रूप देने के पश्चात यूएमपीपी में शीघ्रतापूर्वक बोली के लिए आवश्यक आरंभिक कार्रवाई की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-76

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में स्कीमें

76. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उन स्कीमों के तहत कुल कितनी-कितनी राशि संस्वीकृत, जारी तथा प्रयुक्त की गई, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत की सुविधा से वंचित परिवारों की श्रेणी-वार यथा ग्रामीण और शहरी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों को विद्युत से जोड़ा गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में शुरू की गई विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

I. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 64880.46 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई है और 11965.45 करोड़ रूपए की पूंजीगत सब्सिडी **रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** (आरईसी) द्वारा संवितरित की गई है। राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

II. शहरी **क्षेत्रों** के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)। तत्कालीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को आईपीडीएस में समाहित किया गया है। आईपीडीएस के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित 30 राज्यों के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 25,880 करोड़ रूपए मूल्य की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में आर-एपीडीआरपी और आईपीडीएस के अंतर्गत दी गई मंजूरियों और किए गए संवितरणों का ब्यौरा **अनुबंध-III और IV** में दिया गया है।

III. विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित स्कीमों, अर्थात राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंन्सियों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का योगदान, म्यूनिसिपल मांग पक्ष प्रबंधन, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण भवन कोडों के कार्यान्वयन द्वारा राज्यों के साथ कार्य कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न् राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

IV. भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) की शुरूआत की थी। इस स्कीम का लक्ष्य ब्याज के भार को कम करना, विद्युत की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में होने वाली विद्युत की हानि को कम करना और डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है। यूडीएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य यूडीएवाई स्कीम के अंतर्गत भाग ले रहा है।

V. एलईडी कार्यक्रम के दो घटक हैं, अर्थात, (i) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला); और (ii) परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)। एलईडी कार्यक्रम को भारत सरकार की ओर से बिना किसी बजटीय आबंटन के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जोकि चार विद्युत क्षेत्र पीएसयू अर्थात एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पीजीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) : 2011 **की** जनगणना के अनुसार, देश में 16,78,26,730 **ग्रामीण** परिवार थे**।** जिनमें से 9,28,08,038 परिवारों के पास बिजली थी और 7,50,18,692 परिवार **गैर**-विद्युत**कृत थे जिनमें** ग्रामीण/शहरी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय **के परिवार शामिल थे।** डीडीयूजीजेवाई की 12वीं योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय सहित 1,32,36,258 गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्तमान वर्ष (30.06.2016 तक) सहित गत दो वर्षों के दौरान 10,017 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं

क्रम स.	राज्य	राज्यों को संस्वीकृत कुल निधियां (रूपए करोड़ में)			
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	0.00	328.61	593.46	0.00
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	267.20	0.00
3	असम	1621.07	0.00	1274.10	0.00
4	बिहार	5220.65	0.00	5856.36	0.00
5	छत्तीसगढ़	285.61	0.00	1253.99	0.00
6	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	5.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	20.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00	924.72	0.00
9	हरियाणा	1260.93	0.00	316.38	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	159.12	0.00	0.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	101.28	0.00	619.67	0.00
12	झारखण्ड	0.00	0.00	3696.22	0.00
13	कर्नाटक	99.53	0.00	1754.27	0.00
14	केरल	0.00	0.00	485.37	0.00
15	मध्य प्रदेश	1430.93	2865.26	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	2163.44	0.00
17	मणिपुर	204.73	0.00	54.96	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00	261.69	0.00
19	मिजोरम	77.03	0.00	30.43	0.00
20	नागालैण्ड	92.31	0.00	42.38	0.00
21	ओडिशा	3550.47	0.00	1656.48	0.00
22	पंजाब	0.00	0.00	252.06	0.00
23	राजस्थान	1453.91	0.00	2819.41	0.00
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	20.10
25	तेलंगाना	0.00	0.00	462.30	0.00
26	तमिलनाडु	0.00	924.12	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	316.23	0.00	74.12	0.00
28	उत्तर प्रदेश	7282.81	313.93	6632.99	0.00
29	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	842.00	0.00
30	पश्चिम बंगाल	609.61	4262.10	0.00	0.00
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	20.96
32	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	20.15
	कुल	**23607.10**	**8853.14**	**32359.02**	**61.21**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा संवितरित राज्य-वार सब्सिडी

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	0.00	18.97	19.62	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.94	60.34	30.98	15.92
3	असम	18.96	114.62	338.01	74.18
4	बिहार	848.13	1489.80	710.22	461.36
5	छत्तीसगढ़	43.35	81.11	247.31	20.02
6	गुजरात	7.53	12.36	57.79	0.00
7	हरियाणा	-4.56	-14.24	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	28.35	0.00
9	जम्मू व कश्मीर	35.09	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	0.00	9.42	0.00	312.96
11	कर्नाटक	39.82	25.96	38.96	4.09
12	केरल	21.17	15.37	0.00	34.53
13	मध्य प्रदेश	115.26	351.98	434.83	4.10
14	महाराष्ट्र	0.00	0.00	43.27	0.00
15	मणिपुर	29.80	87.66	7.04	0.00
16	मेघालय	18.13	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	40.90	0.00	18.60	0.00
18	नागालैंड	7.17	0.00	48.31	7.17
19	ओडिशा	2.52	15.53	514.23	164.93
20	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान	3.12	0.00	252.52	5.42
22	सिक्किम	16.29	0.00	0.00	0.00
23	तमिलनाडु	5.78	0.00	82.62	0.00
24	तेलंगाना	6.92	3.44	5.33	0.00
25	त्रिपुरा	0.00	48.19	49.38	1.10
26	उत्तर प्रदेश	1061.06	1121.07	1237.66	296.79
27	उत्तराखंड	0.00	0.00	71.21	0.00
28	पश्चिम बंगाल	51.71	145.03	305.19	61.72
29	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
30	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	**2373.10**	**3586.62**	**4541.43**	**1464.30**

टिप्पणी: ऋणात्मक आंकड़े अंतिम रूप से निष्पादित परियोजना लागत में कटौती के कारण राज्य सरकार से अधिकतम वसूली को दर्शाते हैं।

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आर-एपीडीआरपी में वर्ष-वार संस्वीकृति एवं संवितरण (13.07.2016 की स्थिति के अनुसार)

(रुपए करोड़ में)

राज्य	संस्वीकृति					संवितरण				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	निवल- संस्वीकृति संचयी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	संवितरण संचयी
हरियाणा	793.9	0	-467.68	-854.9	778.21	0	27.14	29.7	14.59	121.11
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	435.37	0	21.28	19.41	36.43	232.28
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	1870.15	0	0	0	35.38	596.42
पंजाब	122.97	0	0	0	1957.91	13.5	4.29	29.86	0	415.72
चंडीगढ़	0	0	-33.34	0	33.34	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	110.14	0	0	2113.05	0	0	16.11	13.69	436.33
उत्तर प्रदेश	1015.63	930.36	0	0	7971.25	84.61	195.84	369.07	103.36	1580.19
उत्तराखंड	0	6.42	0	0	732.88	0	61.56	7.97	35.83	294.48
कुल यूटिलिटियां (उत्तरी)	**1932.5**	**1046.92**	**-501.02**	**-854.9**	**15892.16**	**98.11**	**310.11**	**472.12**	**239.28**	**3676.54**
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2413.17	46.2	0	21.51	0	524.64
गुजरात	43.17	127.02	0	0	1493.43	28.79	15.25	19.64	22.18	400.08
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	873.75	34.54	0	0.71	35.05	225.89
महाराष्ट्र	0	-341.38	0	0	3202.53	0	0	0	0	763.44
गोवा	0	0	0	0	110.73	0	0	0	0	31.47
कुल (पश्चिम)	**43.17**	**-214.36**	**0**	**0**	**8093.61**	**109.53**	**15.25**	**41.86**	**57.23**	**1945.51**
आंध्र प्रदेश	56.77	100.93	0	0	554.7	56.61	8.49	11.92	0	168.33
तेलंगाना	26.78	0	-2.75	0	1427.33	83.04	0	0	0	313.8
कर्नाटक	0	7.56	0	0	1185.3	95.96	7.99	8.76	46.84	419.23
केरल	0	0	0	0	1375.85	0	0	0	0	250.99
तमिलनाडु	90.81	228.4	0	0	3104.89	0	0	0	0	671.69
पुडुचेरी	0	0	0	0	126.2	14.1	2.78	0	0	21.38
कुल (दक्षिण)	**174.36**	**336.89**	**-2.75**	**0**	**7774.27**	**249.71**	**19.26**	**20.68**	**46.84**	**1845.44**
बिहार	0	0	-215.92	0	1155.89	97.36	0	0	0	238.26
झारखंड	1251.68	0	0	0	1412.28	27.78	0	0	0	75.96
पश्चिम बंगाल	125.67	0	0	0	1005.49	0	21.96	0	0	253.74
ओडिशा	395.86	0	0	0	395.86	0	79.21	0	0	79.21
कुल (पूर्व)	**1780.85**	**0**	**-215.92**	**0**	**3977.16**	**125.14**	**101.17**	**0**	**0**	**647.18**
असम	0	0	0	0	839.65	0	34.6	33.11	53.43	373.03
अरुणाचल	0	0	0	0	37.68	0	0	0	0	11.3
नागालैंड	0	0	-10.07	0	34.58	0	0	0	2.46	12.83
मणिपुर	0	0	0	0	430.42	0	0	83.9	54.81	267.84
मेघालय	159.73	0	0	0	193.7	0	47.92	0	0	58.11
मिजोरम	240.41	0	0	0	275.53	57.5	14.62	0	0	82.66
सिक्किम	0	-14.67	0	0	80.09	0	2.58	6.07	11.04	48.12
त्रिपुरा	0	0	0	0	200.28	0	32.96	3.9	14.04	110.99
कुल (पूर्वोत्तर)	**400.14**	**-14.67**	**-10.07**	**0**	**2091.93**	**57.5**	**132.68**	**133.17**	**135.78**	**971.07**
कुल	**4331.02**	**1154.78**	**-729.76**	**-854.9**	**37829.13**	**639.99**	**578.47**	**667.82**	**479.13**	**9085.73**

टिप्पणी: 1. ऊपर दी गई संस्वीकृतियों में भाग-ख परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत शामिल है।

****

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृति-संवितरण की स्थिति

(रूपए करोड़ में)

30.06.2016 की स्थिति के अनुसार

राज्य	संस्वीकृति 2014-15	संस्वीकृति 2015-16	संस्वीकृति 2016-17	संचित संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि 2014-15	संवितरित राशि 2015-16	संवितरित राशि 2016-17	संचित संवितरित राशि
हरियाणा	0.00	79.24	311.35	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	111.15	0.00	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	446.72	0.00	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	325.61	0.00	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	1309.73	0.00	1309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	1067.73	3653.77	0.00	4721.50	0.00	86.86	0.00	86.86
उत्तराखण्ड	0.00	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली		0.00	197.90	197.90	0.00			0.00
कुल यूटिलिटियां(उत्तर)	1067.73	6117.85	509.25	7694.83	0.00	86.86	0.00	86.86
मध्य प्रदेश	72.94	1435.83	0.00	1508.77	0.00	4.40	0.00	4.40
गुजरात	374.78	752.66	0.00	1127.44	0.00	28.75	39.13	67.88
छत्तीसगढ़	0.00	491.51	0.00	491.51	0.00	29.59	0.00	29.59
महाराष्ट्र	0.00	2311.93	105.17	2417.10	0.00	0.00	139.18	139.18
गोवा	0.00	0.00	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पश्चिम)	447.72	4991.93	137.40	5577.05	0.00	62.74	178.30	241.04
आंध्र प्रदेश	432.65	221.30	0.00	653.95	0.00	30.74	0.00	30.74
तेलंगाना	0.00	653.56	0.00	653.56	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	1144.45	0.00	1144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल		0.00	600.45	600.45	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	1569.10	0.00	1569.10	0.00	0.00	0.00	0.00
पुडुचेरी	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल(दक्षिण)	432.65	3610.15	600.45	4643.25	0.00	30.74	0.00	30.74
बिहार	245.55	1865.45	0.00	2111.00	0.00	14.79	0.00	14.79
झारखण्ड	0.00	0.00	735.39	735.39	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	1074.68	1588.99	275.97	2939.64	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	0.00	521.09	562.15	1083.24	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पूर्व)	1320.23	3975.53	1573.51	6869.27	0.00	79.49	0.00	79.49
असम	0.00	584.91	0.00	584.91	0.00	49.76	0.00	49.76
अरूणाचल प्रदेश	0.00	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	130.08	0.00	130.08	0.00	11.07	0.00	11.07
मेघालय	0.00	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	74.24	0.00	74.24	0.00	6.32	0.00	6.32
कुल (पूर्वोत्तर)	0.00	1051.83	44.14	1095.97	0.00	67.15	0.00	67.15
कुल	3268.33	19747.29	2864.75	25880.37	0.00	326.98	178.30	505.28

टिप्पणी: विभिन्न अनुपालनाओं के कारण 1291.05 करोड़ रूपए की संस्वीकृति रूकी हुए है।

****

अनुबंध-V

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ऊर्जा दक्षता स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गईं निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16
1	अंडमान व निकोबार	56.84	0.00	23.27
2	लक्षद्वीप	80.84	0.00	3.75
3	पुडुचेरी	45.71	8.00	17.75
4	चंडीगढ़	80.84	0.00	0.00
5	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
6	दमन व दीव	112.80	0.00	0.00
7	दिल्ली	112.80	0.00	0.00
8	गोवा	310.84	8.00	17.75
9	सिक्किम	23.00	8.00	18.00
10	असम	29.00	32.00	259.00
11	अरुणाचल प्रदेश	67.41	26.00	39.00
12	नागालैंड	48.16	26.00	64.00
13	मणिपुर	89.29	0.00	0.00
14	मिजोरम	42.41	57.00	39.00
15	त्रिपुरा	46.41	32.00	39.00
16	मेघालय	36.41	32.00	59.00
17	आंध्र प्रदेश	243.00	0.00	81.00
18	बिहार	212.14	0.00	51.00
19	छत्तीसगढ़	186.89	38.00	41.00
20	गुजरात	475.79	8.00	21.00
21	हरियाणा	158.60	32.00	41.00
22	झारखंड	68.00	0.00	21.00
23	कर्नाटक	162.00	39.00	51.00
24	केरल	98.91	32.00	31.00
25	मध्य प्रदेश	186.26	26.00	61.00
26	महाराष्ट्र	307.26	38.00	23.00
27	ओडिशा	68.66	8.00	41.00
28	पंजाब	103.91	69.00	51.00
29	राजस्थान	103.91	0.00	51.00
30	तमिलनाडु	59.66	0.00	51.00
31	उत्तर प्रदेश	392.39	0.00	261.00
32	उत्तराखंड	53.41	8.00	241.00
33	पश्चिम बंगाल	58.66	8.00	51.00
34	हिमाचल प्रदेश	133.79	39.00	26.00
35	जम्मू व कश्मीर	293.79	0.00	16.00
कुल		**4549.78**	**574.00**	**1790.52**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-77

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

पंचेश्वर बांध के लिए उत्तराखंड को रॉयल्टी का भुगतान

77. श्री महेन्द्र सिंह माहराः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को कितनी रॉयल्टी दी जाती है;

(ख) उत्तराखंड राज्य में बनने वाले पंचेश्वर बांध से पैदा होने वाली बिजली में उत्तराखंड के लिये कितनी रॉयल्टी दी जायेगी;

(ग) क्या यह रॉयल्टी बिजली और धन के रूप में दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य को किस प्रकार रॉयल्टी दी जायेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : मौजूदा जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार, जल विद्युत परियोजना से 12% निःशुल्क विद्युत मेजबान राज्य के लिए निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त**,** इस नीति में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए जल विद्युत परियोजना से अतिरिक्त 1% निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ) : दिनांक 12.02.1996 को भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि के प्रावधानों के अनुसार, भारत और नेपाल को पंचेश्वर में उत्पादित ऊर्जा का समान रूप से बंटवारा करना होता है। शारदा नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना के निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना की गई है। भारत और नेपाल में गृह राज्यों को रॉयल्टी/निःशुल्क विद्युत जैसे मामलों के लिए दोनों देशों की परस्पर सहमति अपेक्षित होती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-78

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति

78. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सह सच है कि सरकार पूरे देश में सभी को चौबीसों घन्टे बिजली देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों** के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उनसे विद्युत संयंत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार ने सभी (पीएफए) **के लिए** 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। अट्ठाइस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-79

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

किसानों के लिए स्मार्ट कृषि पम्प

79. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसानों को मुफ्त स्मार्ट कृषि पम्प देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत क्षेत्र के चार पीएसयू अर्थात एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी एवं पीजीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ईईएसएल किसानों के पुराने और अदक्ष पम्प सेटों को निःशुल्क ऊर्जा दक्ष पम्पों से बदलेगा। इसके अतिरिक्त, ईईएसएल किसानों द्वारा पम्पों के प्रचालन की सुगमता को बढ़ाने के लिए स्मार्ट कंट्रोल पैनल उपलब्ध कराएगा। ऊर्जा दक्ष पम्प, जो 4 अथवा 5 स्टार के हैं, ऊर्जा खपत में कम से कम 30% की कमी सुनिश्चित करते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-80

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

नैफ्था-आधारित विद्युत संयंत्र

80. श्री मो. नदीमुल हकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति स्टॉक के रूप में नैफ्था (मिट्टी का तेल) से विद्युत उत्पादन संबंधी राज्य-वार कितनी विद्युत परियोजनाओं को मंजूर/संस्वीकृत किया गया है?

(ख) देश में इस प्रकार की परियोजनाओं से कुल कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की उम्मीद है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए प्रति ईकाई विद्युत उत्पादन की औसत लागत क्या है;

(घ) क्या सरकार इस उद्देश्यार्थ नैफ्था का आयात करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सभी परियोजनाओं को शुरू किए जाने तक की अवधि में वार्षिक रूप से कितनी विदेशी मुद्रा समाप्त होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात, ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और फीड स्टॉक के रूप में नाफ्था के प्रयोग वाली परियोजनाओं सहित, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से स्वीकृति/मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(ख) : सीईए की निगरानी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान में देश में फीड स्टॉक के रूप में नाफ्था वाली कोई भी ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं रही।

(ग) से (च) : उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच विद्युत का वितरण

81. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यह अधिदेशित करता है कि आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उत्पादित कुल विद्युत का 54 प्रतिशत तेलंगाना में जाना चाहिए और शेष 46 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश में रहना चाहिए;

(ख) क्या यह बात मंत्रालय की जानकारी में आई है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार तेलंगाना को 54 प्रतिशत विद्युत प्रदान नहीं कर रही है;

(ग) क्या उक्त 54 प्रतिशत विद्युत उन परियोजनाओं के लिए प्रयोजनीय है जो बंटवारे के बाद से विद्युत का उत्पादन कर रही हैं यद्यपि वे राज्य के द्विविभाजन से पहले शुरू हुई थीं;

(घ) राज्य के द्विविभाजन से पहले और बाद पी.पी.ए. से संबंधित स्थिति क्या है; और

(ङ) उपरोक्त उपबंधों के क्रियान्वयन में मंत्रालय के समक्ष कौन-कौन सी बाधाएं हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआरए, 2014) पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में उत्पादित कुल विद्युत से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य को विद्युत के आबंटन के किसी विशिष्ट प्रतिशत का उल्लेख नहीं करता है।

आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच विद्युत के वितरण के संबंध में एपीआरए,2014 में संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

खण्ड (2):

"संबंधित डिस्कामों के साथ मौजूदा विद्युत क्रय करार (पीपीए) चालू परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं दोनों के लिए जारी रहेंगे।"

खण्ड (6):

"केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की विद्युत का आबंटन संबंधित परवर्ती राज्य में संबंधित डिस्कामों की विगत 5 वर्षों की वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर इस अनुपात में तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच किया जाएगा।"

(ख) से (ङ) : उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-82

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

'उदय' के जरिए राज्य बिजली बोर्डों को पुनरुज्जीवित किया जाना

82. श्री राम कुमार कश्यपः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य के विद्युत बोर्डों को पुनजीर्वित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सुधारने के संबंध में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली राज्य-वार सहयोग राशि क्या है तथा इस राशि को प्रदान करने का आधार क्या है;

(घ) इस योजना में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का कितना-कितना योगदान है तथा दोनों सरकारों के बीच समन्वय बनाने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है; और

(ङ) इस योजना के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कायापलट के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य ब्याज भार में कमी, विद्युत की लागत में कमी, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों में कमी तथा डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है।

(ग) : इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। तथापि, स्कीम में, राज्य को दो वर्षों के लिए मौद्रिक उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमाओं से डिस्कॉम ऋणों को लिए जाने में छूट देकर; घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति, कोयला लिंकेज यौक्तिकीकरण; अदक्ष से दक्ष संयंत्रों को कोल स्वैप की उदार अनुमति; राज्यों को अधिसूचित दरों पर कोल-लिंकेज का आबंटन करके तथा यदि वे स्कीम में प्रचालनात्मक लक्ष्यों को पूरा करें तो उन्हें विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीमों में अतिरिक्त/प्राथमिकता वित्त पोषण देकर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

(घ) : इस स्कीम में परिकल्पना की गई है कि भागीदार राज्य दिनांक 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के ऋण का 75% भाग वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में वहन करेंगे। प्रत्येक भागीदार राज्य निर्धारित दायित्वों के साथ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा इसके डिस्कॉम के बीच होने वाले त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। उदय के अंतर्गत मध्यस्थताओं की आवधिक रूप से निगरानी के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति गठित की गई है।

(ङ) : राज्यों द्वारा, दिनांक 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के बकाया ऋण को लिए जाने की समय-सीमा 31.03.2017 है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला

83. श्री परिमल नथवानीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए कोयले की राज्य-वार आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्यों को कोयले की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति में कोई कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयले की उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाया जाना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की राज्य-वार आवश्यकता के ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2016-17 (जून, 2016 तक) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों को कोयले की आपूर्ति/प्रेषण का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	**विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति (मिलियन टन में)**
2013-14	498.1

2014-15	554.3
2015-16	574.3
2016-17 (जून, 16 तक)	142.0

(ग) और (घ) : जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : ताप विद्युत संयंत्रों की कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा बहु-आयामी प्रयास किए जा रहे हैं। कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन स्तर को पर्याप्त बढ़ाने की रूपरेखा सीआईएल द्वारा तैयार की गई है।

(ii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा चुके हैं।

(iii) कोयले की उपलब्धता के संबंध में, सरकार में उच्चतम स्तर पर बारीकी से नियमित रूप से निगरानी की जाती है ताकि कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों का उत्पादन प्रभावित न हो। आज की तिथि में, एक भी विद्युत संयंत्र कोयले की कमी की वजह से 'क्रिटिकल' नहीं है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2016-17 के दौरान राज्य-वार/विद्युत संयंत्र-वार कोयले की आवश्यकता

मात्रा 000 टन में

क्रम सं.	राज्य/विद्युत संयंत्र	कोयले की आवश्यकता
	दिल्ली	
1	राजघाट	45
2	बदरपुर	757
	उप-जोड़	**802**
	हरियाणा	
3	पानीपत	1035
4	राजीव गांधी	3216
5	यमुना नगर	1652
6	इंदिरा गांधी (जेवी) (अरावली पावर)	4680
7	महात्मा गांधी	3575
	उप-जोड़	**14158**
	पंजाब	
8	जीएच (लेह.मोह.)	2280
9	रोपर	3066
10	जीएनडी (भटिंडा)	737
11	राजपुरा	4050
12	तलवंडी साबो	3960
	उप-जोड़	**14093**
	राजस्थान	
13	कोटा	5433
14	सूरतगढ़	4095
15	छाबड़ा	2880
16	कवाई	4163
17	कालीसिंध	4032
	उप-जोड़	**20603**
	उत्तर प्रदेश	
18	अनपरा	12920
19	हरदुआगंज	3033
20	ओबरा	4439
21	पंकी	930
22	परीछा	5719
23	दादरी (एनसी)	7605
24	रिहंद	13900
25	सिंगरौली	11512
26	टांडा	2313
27	ऊंचाहार	4774
28	रोसा	5280
29	अनपरा सी	5525

30	बरखेड़ा	315
31	कुंदरकी	319
32	खांबरखेड़ा	288
33	मकसूदपुर	324
34	उतरौला	318
35	प्रयागराज	1300
36	ललितपुर	1950
	उप-जोड़	**82763**
	गुजरात	
37	सिक्का	872
38	गांधी नगर	1920
39	उकई	3752
40	वांकाबोरी	4140
41	साबरमती (टोरेंट)	1454
42	मुंद्रा	15600
43	मुंद्रा यूएम (टाटा)	10119
44	सलाया (एस्सार)	2400
	उप-जोड़	**40257**
	मध्य प्रदेश	
45	अमरकंटक एक्सटेंशन	901
46	संजय गांधी	4970
47	सतपुरा	4565
48	श्री सिंगाजी	4615
49	विंध्याचल	21988
50	बीना	1725
51	सासन यूएमपीपी	16430
52	अनूपपुर	2947
53	निगरी	3900
	उप-जोड़	**62041**
	छत्तीसगढ़	
54	डीएसपीएम	2697
55	कोरबा-II	2388
56	कोरबा-वेस्ट	6930
57	कोरबा	14040
58	सीपत	12632
59	पथाडी	2450
60	भिलाई	2590
61	बारादरहा	2275
62	अकलतारा	4690
63	ओपी जिंदल	4004
64	तमनार	3640
65	सिंघीतराई	260
66	बाल्को	1138
67	उचपिंडा	1300
68	सिओनी	325
69	राइखेड़ा	1625
	उप-जोड़	**62983**
	महाराष्ट्र	
70	भुसावल	6308
71	चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	12750

72	खापरखेड़ा	6192
73	कोराडी	6120
74	नासिक	2964
75	पार्ली	83
76	पारस	2430
77	टिरोडा	11800
78	दहानु	2280
79	बुटीबोरी	2160
80	अमरावती	4891
81	एमको वरौरा	2457
82	मौदा	2130
83	वर्धा वरौरा	1386
84	धारीवाल	715
85	ट्रॉम्बे	2843
86	जेएसडब्लयू रत्नागिरी	3360
	उप-जोड़	**70869**
	आंध्र प्रदेश	
87	डॉ. एन. टाटा राव	9750
88	रायलसीमा	5415
89	सिम्हाद्री	10220
90	दामोदरम संजीव्याह	3120
91	पैनमपुरम	4472
92	विजाग	1300
93	सिम्हापुरी	2328
94	थामिनापट्टनम (मीनाक्षी)	1073
	उप-जोड़	**37677**
	तेलंगाना	
95	कोथागुडेम	8208
96	रामागुंडम-बी	204
97	रामागुंडम	12903
98	काकातिया	3900
99	सिंगरैनी	975
	उप-जोड़	**26190**
	कर्नाटक	
100	रायचूर	7166
101	बेल्लारी	4578
102	कुडगी	337
103	येरमारस	1365
104	उडुपी	3360
105	टोरंगलु (एसबीयू-I)	840
106	तोरंगलु (एसबीयूII)	1720
	उप-जोड़	**19366**
	तमिलनाडु	
107	एन्नोर	516
108	मेट्टूर	6080
109	नॉर्थ चेन्नई	6741
110	तूतीकोरिन	4730
111	वल्लूर (एनटीपीसी और टीएन-एनटीईसीएल का जेवी)	5695
112	तूतीकोरिन (एनएलसी और टीएन-एनटीपीएल का जेवी)	4130
113	तूतीकोरिन (पी)	488

114	मुथियारा	1120
115	आईटीपीसीएल (कुड्डालूर)	680
	उप-जोड़	**30180**
	बिहार	
116	कहलगांव	12928
117	मुजफ्फरपुर	1001
118	बाढ़-II (एनटीपीसी)	3770
119	नबी नगर (जेवी)	195
	उप-जोड़	**17894**
	झारखंड	
120	पतरातु	616
121	टेनुघाट	1900
122	बोकारो `बी`	1488
123	चंद्रपुर (डीवीसी)	3436
124	मैथॉन आरबी	3814
125	कोडरमा	2313
126	महादेव प्रसाद	1586
127	बोकारो `ए` एक्सपें.	428
	उप-जोड़	**15579**
	ओडिशा	
128	आईबी वैली	2864
129	तालचेर (ओल्ड)	2788
130	तालचेर एस	19712
131	स्टरलाईट	4512
132	कमलंगा	4158
133	इंड बराथ (उत्कल)	731
134	देरांग	3458
	उप-जोड़	**38223**
	पश्चिम बंगाल	
135	दुर्गापुर	912
136	मेजिया	7049
137	बारकेश्वर	4615
138	बंदेल	1242
139	डी.पी.एल.	1349
140	कोलाघाट	5220
141	सागरदिघी	2160
142	संतालडिह	2345
143	बज बज	3425
144	साउदर्न रिपब्लि.	448
145	टीटागढ़	289
146	फरक्का	9380
147	दुर्गापुर स्टील	3986
148	हल्दिया	2601
149	रघुनाथपुर	590
	उप-जोड़	**45611**
	असम	
150	बोंगाईगांव	712
	उप-जोड़	**712**
	कुल	**600000**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

'उदय' का क्रियान्वयन

84. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने कहा है कि उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन इस योजना में कतिपय आवश्यक संशोधनों के बिना कठिन होगा;

(ख) क्या सरकार ईंधन की कीमतों में परिवर्तनों को निष्प्रभावी करने के लिए प्रशुल्कों के तिमाही संशोधन की आवश्यकता को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) एक स्वैच्छिक स्कीम है जो राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात तैयार की गई। भारत सरकार उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देते समय, स्कीम की राज्य विशिष्ट कठिनाईयों/प्रभावों का समाधान करने में राज्यों के साथ सहयोग करती है।

(ख) से (घ) : उदय राज्यों के लिए एक स्वैच्छिक स्कीम है और इसमें राज्य विनियामकों द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, विशेषतया उपभोक्ताओं के हित में, ईंधन मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, तिमाही प्रशुल्क संशोधन हेतु एक विकल्प की व्यवस्था है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री- से हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह मुद्दा भी शामिल है। उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-85

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय जल विद्युत नीति

85. श्री राजकुमार धूतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि इस नीति को अब तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है तो यह क्रियान्वयन हेतु कब तक तैयार हो जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। भारत सरकार ने प्रशुल्क नीति, 2006 में संशोधन के माध्यम से दिनांक 31.03.2008 को राष्ट्रीय जल विद्युत नीति, 2008 अधिसूचित की थी। राष्ट्रीय जल विद्युत नीति, 2008 सहित प्रशुल्क नीति, 2006 में भारत सरकार की दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अगला संशोधन किया गया था। समय-समय पर संशोधित जल विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- जल विद्युत विकासकर्ताओं को स्थल अवार्ड करने के लिए राज्यों द्वारा पारदर्शी चयन प्रक्रिया/मानदण्डों का अनुसरण किया जाना।
- जल विद्युत विकासकर्ताओं के लिए उपलब्ध प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के संबंध में छूट से संबंधित विधान को 15.08.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

- जल विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना स्थल प्राप्त करने में वहन की गई लागतों को वसूल करने के लिए, जल विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं (सार्वजनिक तथा साथ ही साथ निजी क्षेत्र के जल विद्युत विकासकर्ता) को सक्षम बनाने के लिए कुल 60% विक्रय योग्य डिजाइन एनर्जी के लिए दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) की पुष्टि की जानी होती है। विकासकर्ता को विशेष प्रोत्साहन के रूप में व्यावसायिक विक्रय के लिए शेष 40% विक्रय योग्य ऊर्जा की अनुमति दी जाती है।
- विकासकर्ता को, प्रशुल्क के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय मूल्यह्रास की कम दर प्रभारित करने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है जोकि उपर्युक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यह्रास की दर की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होता है।
- जल विद्युत को मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए अनिवार्य सौर क्रय दायित्व के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- परियोजना से अतिरिक्त 1% निःशुल्क विद्युत (मेजबान राज्य के लिए निर्धारित 12% निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त) उपलब्ध करवायी जाएगी तथा आय सृजन और कल्याण स्कीमों के लिए राजस्व का नियमित स्रोत उपलब्ध करवाने और परियोजना के जीवनकाल में सतत और निरंतर आधार पर अतिरिक्त अवसंरचना तथा सामान्य सुविधाओं आदि के सृजन के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए निर्धारित की जाएगी।
- विकासकर्ता सीओडी से 10 वर्षों के लिए, नकद या किसी अन्य तरीके से या दोनों के समिश्रण से प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रामों का विद्युतीकरण

86. श्री दर्शन सिंह यादवः

श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, राज्य-वार, ऐसे ग्रामों की कुल संख्या क्या है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) इन गांवों का विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा; और

(घ) बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे जिनमें से, 15 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार, 8,888 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : शेष अधिकतर गांव दुर्गम क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, दूरस्थ स्थानों इत्यादि में स्थित हैं। शेष सभी गांवों का विद्युतीकरण मई, 2018 तक किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार भी ग्रामीण विद्युतीकरण सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, दूरस्थ गांवों को, यदि ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है तो, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके ऑफग्रिड प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण का कार्य, संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्र में आता है। भारत सरकार, सीपीएसयू के माध्यम से, केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा वहां से राज्यों को विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 18.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार स्थिति			
क्रम सं.	**राज्य**	**01.04.2015 की स्थिति के अनुसार कुल-गैर-विद्युतीकृत गांव**	**15.07.2016 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत हुए गैर-विद्युतीकृत गांव**
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	308
2	असम	2892	1595
3	बिहार	2747	1878
4	छत्तीसगढ़	1080	446
5	हिमाचल प्रदेश	35	10
6	जम्मू व कश्मीर	134	27
7	झारखंड	2525	1009
8	कर्नाटक	39	2
9	मध्य प्रदेश	469	299
10	मणिपुर	276	88
11	मेघालय	912	182
12	मिजोरम	58	16
13	नागालैंड	82	0
14	ओडिशा	3484	1400
15	राजस्थान	488	254
17	त्रिपुरा	26	10
18	उत्तर प्रदेश	1529	1356
19	उत्तराखंड	76	0
20	पश्चिम बंगाल	22	8
कुल		**18452**	**8888**

****